



आदेश संख्या- 1373

दिनांक- 28.09.2024

कार्यालय आदेश

विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार के पत्रांक संख्या-3472 दिनांक- 18.09.2023 के आलोक में संस्थान में अध्ययनरत सभी छात्र-छात्राओं की उपस्थिति कम-से-कम 75% अनिवार्य है। अगर कोई छात्र/ छात्रा 75% उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाते हैं तो उनका आगामी परीक्षा में भाग लेने से वंचित किया जा सकेगा। इसलिए 2024 बैच के सभी छात्रों को निर्देश दिया जाता है कि वे 05.10.2024 से पहले बायोमेट्रिक मशीनों में अपना पंजीकरण कराएं और नियमित रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं।

उक्त के आलोक में सभी विभागाध्यक्ष/ शिक्षकों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने स्तर पर समीक्षा कर छात्र-छात्राओं को कक्षाओं से कम-से-कम 75% उपस्थिति हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

इसे अति आवश्यक समझा जाए।


प्राचार्य

राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय
वैशाली।

प्रतिलिपि,

- 1 संस्थान के सभी शिक्षकों को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2 नोटिस बोर्ड / वेबसाइट।